कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर

AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)

Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

Dr. N.K. Sharma
Zonal Director Research

संख्या एफ.( )/कृअके/गगा/निविदा/2026–27/207–14 दिनांक : 06.06.2026

ई–निविदा सूचना नं. 01/2026–27

कृशि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर पर आगामी एक वर्ष के लिये विभिन्न कृषि कार्य करवाने हेतु ई–निविदा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थाओं/फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई– प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से द्विभागीय ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है:–

निविदा की अनुमानित लागत	:	राशि रूपये 48 लाख
धरोहर राशि (रूपयों में)	:	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (96,000 रूपये)
निविदा शुल्क	:	राशि रूपये 1000/–
RISL प्रोसेसिंग शुल्क	:	राशि रूपये 500/–
ऑनलाईन ई–निविदा आवेदन डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि	:	दिनांक 06.06.2026 से 20.06.2026 प्रातः 10.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करने की तिथि	:	दिनांक 20.06.2026 प्रातः 10.30 बजे तक
ऑनलाईन ई–निविदा (तकनीकी एवं वितीय दोनों) खोलने की तिथि	:	दिनांक 20.06.2026 प्रातः 11.30 बजे

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा www.raubikaner.org पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोमेंट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार Zonal Director Research, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर को होगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यायल, बीकानेर
2. श्रीमान् निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृशि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें
4. अध्यक्ष निविदा कमेटी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
5. फार्म ईन्चार्ज/समस्त परियोजना प्रभारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
6. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
7. सूचना पट्ट/निविदा पत्रावली/रक्षित पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर

AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)

Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

Dr. N.K. Sharma

Zonal Director Research

संख्या एफ.( )/कृअकें/गगा/निविदा/2026–27/207–14 दिनांक : 06.06.2026

ई–निविदा सूचना नं. 01/2026–27

कृशि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर पर आगामी एक वर्ष के लिये विभिन्न कृषि कार्य करवाने हेतु ई–निविदा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थाओं/फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई– प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से द्विभागीय ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है:–

निविदा की अनुमानित लागत	:	राशि रूपये 48 लाख
धरोहर राशि (रूपयों में)	:	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (96,000 रूपये)
निविदा शुल्क	:	राशि रूपये 1000/–
RISL प्रोसेसिंग शुल्क	:	राशि रूपये 500/–
ऑनलाईन ई–निविदा आवेदन डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि	:	दिनांक 06.06.2026 से 20.06.2026 प्रातः 10.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करने की तिथि	:	दिनांक 20.06.2026 प्रातः 10.30 बजे तक
ऑनलाईन ई–निविदा (तकनीकी एवं वितीय दोनों) खोलने की तिथि	:	दिनांक 20.06.2026 प्रातः 11.30 बजे

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा www.raubikaner.org पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोमेंट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार Zonal Director Research, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर को होगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यायल, बीकानेर
2. श्रीमान् निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृशि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें
4. अध्यक्ष निविदा कमेटी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
5. फार्म ईन्चार्ज/समस्त परियोजना प्रभारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
6. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
7. सूचना पट्ट/निविदा पत्रावली/रक्षित पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

विभिन्न कृषि कार्य करवाने हेतु निविदा फार्म

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम...
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेन्डलाईन, मोबाई व ई–मेल सहित..
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
4. किसको संबोधित किया गया–Zonal Director Research, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
5. ई–निविदा संदर्भ एफ.()/कृअके/गंगा/निविदा/2026–27 /............. दिनांक ....
6. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.........................दिनांक ....Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष मे देय तथा प्रतिभूति राशि रूपये 96000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या...दिनांक ....Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष में देय एवं प्रोसेसिंग फीस रूपये 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या......................................दिनांक .... Managing Director, RISL, Jaipur के पक्ष मे देय को Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के कार्यालय में दिनांक 20.06.2026 को प्रातः 10.30 बजे तक भौतिक रूप से जमा करा दी है।
7. Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar द्वारा जारी की गई निविदा एफ.()/कृअके/गंगा/निविदा/2026–27/...............दिनांक.............. मे वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
8. सभी कार्यो के लिये केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं में एक साथ आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घण्टे की अवधि में कर दी जायेगी। केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यो में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
9. कृषि कार्य हेतु प्रपत्र 'ब–FB' मे दी गई दरें एक वर्ष के लिए है। जिसे आपसी सहमति से तीन माह के लिए बढाया जा सकता है।
10. ई –निविदा प्रपत्र के साथ मांगे गए विभिन्न शपथ पत्र संलग्न कर दिए गए है।
11. प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड के अनुसार सभी प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न कर दिए है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

विभिन्न कृषि कार्यों हेतु टेण्डर

परिचयः— कृषि अनुसंधान केन्द्र (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर) श्रीगंगानगर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित्त–पोषित सरकारी संस्था है। जिसका उद्देश्य कृषि शोध व प्रसार का कार्य करना है। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर की समस्त परियोजनाओं द्वारा वर्ष भर में विभिन्न कृषि कार्यो का सम्पादन करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

प्रपत्र 'ब–FB'

क. स.	कार्य का विवरण	इकाई	अनुमानित कार्यभार (इकाई में)	दर प्रति इकाई रूपये में
1.	प्रायोगिक व अप्रायोगिक फसलों में बुआई से पूर्व या बाद में स्टोर से खाद उर्वरक लाकर छिड़काव करना (यूरिया,डीएपी,एसएसपी इत्यादि एकल या/और मिलाकर)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	126	
2.	प्रयोग फसलों में प्लाट वाइज उर्वरको को तोलना, प्लाटों में रखना व प्लॉट वाइज बिखेरना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
3.	प्रयोग फसलों में बुआई के बाद सिंचाई हेतु जिन्दरे/कस्सीये से डोली बनाना	प्रति 50 मीटर लम्बाई	500	
4.	प्रयोग फसलों मे कसिये की सहायता से केवल पटरी/रास्तों आदि मे घास निकालते हुए सफाई	प्रति 1000 वर्ग मीटर (नेट)	200	
5.	प्रायोगिक व अप्रायोगिक फसलों में कस्सिए की सहायता से निराई गुड़ाई करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	126	
6.	प्रायोगिक व अप्रायोगिक फसलों में ट्रैक्टर पम्पसैट द्वारा रसायनों का छिड़काव	प्रति हैक्टेयर (सकल)	126	
7.	प्रयोग फसलों में प्लॉट के अनुसार रसायनो का डिग्गी आदि से पानी लाकर ढोलकी से छिड़काव	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
8.	प्रायोगिक व अप्रायोगिक फसलों के प्लॉटो में कस्सी से डोली बंधाई	प्रति 50 मीटर लम्बाई	200	
9.	त्रिफाली/जिन्दरी चलने के उपरांत टूटी डालियो के सिरे बांधना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	28	
10.	प्रायोगिक फसलों में रसायनों (कीटनाशको/फंफूदनाश्कों) की पौधों की पंक्तियों के साथ साथ ड्रेंचिंग	प्रति हैक्टेयर (सकल)	10	
11.	बाजरे की फसलों में सिट्टे तोड़कर प्लॉट वाइज रखना, सुखाना व थ्रेसर से प्लॉट वाइज दाने निकालना, साफ करके थैलियों में भरना, तोलना व स्टोर में रखना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
12.	प्लॉट वाइज बाजरे की कड़बी काटना, बन्डल बांधना व तौलना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
13.	गेंहू/जौ/ग्वार/तिल/बाजरा/सरसों/चना/मूंग आदि के प्रयोगो में ले आउट काटना (रस्सी खींचना, रस्सी पर चलना, फीता लगाकर विभिन्न खुंटियों गाड़ना, निशान लगाना व प्लॉट के अनुसार लिफाफों या थैलियों को रखना, बुवाई करना)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
14.	गेंहू/जौ/ग्वार/तिल/बाजरा/सरसों/चना/मूंग आदि के प्रयोगो में प्लॉटो के अनुसार कटाई, बन्डल बंधाई व खूंटी के साथ बांधना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
15.	गेंहू/जौ/ग्वार/ तिल /बाजरा/सरसों/चना/मूंग आदि के परीक्षणों में फसल उगने के बाद पुनः ले आउट (रस्सी खीचना, रस्सी पर चलना, निशान लगाना व अतिरिक्त पौधे हटाना)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
16.	ग्वार/तिल/सरसों/चना/मूंग के परीक्षणों में प्लाटों के अनुसार डंडो से गहाई/मढाई व साफ करके थेलियों में भरकर बांधना व स्टोर में रखवाना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	13	
17.	प्रायोगिक फसलों में ट्रेक्टर थ्रेशर द्वारा प्लाट के अनुसार दाने निकालना, साफ करके थेलियों में भरना, तोलना व स्टोर में रखना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	

18.	सरसों के परीक्षण प्लॉट में बॉर्डर पंक्ति को अलग काटते हुये प्लॉट की कटाई व रखाई	प्रति हैक्टेयर (सकल)	5	
19.	सरसों / ग्वार की फसल में विरलीकरण	प्रति हैक्टेयर (सकल)	9	
20.	फसलों में रसायन के पाउडर का धूड़ा (भुरकाव) करना (कृशि पर्यवेक्षक / सहायक के निर्देशन में)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	5	
21.	नरमा / कपास के प्रयोगों में ले आउट करना (रस्सी खींचना रस्सी पर चलना, फीता लगाकर विभिन्न खुटियॉ	प्रति हैक्टेयर (सकल)	9	
22.	नरमा / कपास के प्रयोगों में बुवाई करने वाले नरमा कपास के बीजों से भरी थैलियो को रातभर भिगोना, प्लाट अनुसार थैलियों को रखना व डिब्लिंग विधि से बुवाई करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	9	
23.	नरमा / कपास के प्रयोगों में उगने के बाद पुनः ले आउट (रस्सी खींचना, रस्सी पर चलना, निशान लगाना व अतिरिक्त पौधे हटाना)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	9	
24.	नरमा कपास के परीक्षणों में विरलीकरण कर एकल पौधों को रखना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	9	
25.	त्रिफाली के बाद नरमा कपास के प्रयोगों के पौधों को खड़े करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
26.	नरमा / कपास के प्लाटों से सीड कॉटन की सम्पूर्ण चुगाई (3 से 4 चुगाई सबकों जोड़कर) तौलना, थैलों में भरना व स्टोर में रखना / अप्रायोगिक मे सम्पूर्ण चुगाई (3 से 4 चुगाई)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	10	
27.	गन्ने में परीक्षणों का ले आउट (रस्सी खींचना, रस्सी पर चलना, फीता लगाकर विभिन्न खुटियॉ गाड़ना, निशान लगाना)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
28.	गन्ने के बीज हेतु कटाई, छिलाई, बीज खेत से लाना, तीन आंख के टुकड़े काटना, गिनना, उपचार करना, प्लाट वाइज रखना व बुवाई	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
29.	गन्ना प्लाट वाइज रखना व बुवाई करना	प्रति हैक्टेयर	2	
30.	गन्ने की कटाई, छिलाई, तुलाई व बन्डलों को ट्राली में लदवाना	प्रति क्विंटल	1700	
31.	खड़ी फसलों में रास्ते आदि बनाने के लिये सूखी पत्तियों को हटाना व इकट्ठा कर बाहर फेंकना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
32	गन्ने में कसिये की सहायता से निराई गुडाई एवं घास को इकट्ठा कर बाहर फैंकना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	12	
33	गन्ने के परीक्षणों में गन्ने को तिपाई आकार में बांधना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
34	कस्सी की सहायता से गन्ने की जड़ों पर मिट्टी चढाना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
35	गन्ने के पौधो में रसायन के ग्रेन्यूल हाथ द्वारा डालना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
36	गन्ना कटाई के पश्चात् रेटून फसल लेने के लिये गन्ने के पौधो की सेविंग (ज्यादा लम्बे तनों को काटकर एक सार करना) व कटे भाग को बाहर निकालना व गन्ना कटाई पश्चात खेत से खोरी बाहर निकाल बताये स्थान पर डालना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
37	दिखाये गये नमूना प्रादर्श के अनुसार निम्बू वर्गीय फल–वृक्षों की कटाई, छटाई, खेत से लकड़ी (सूख) हटाना, कटे भाग पर नीलाथोथा लगाना एवं स्प्रे करना (लगभग 1500 पौधे)	प्रति 100 पौधे	15	
38	बाग के फल–वृक्षों में गोबर की खाद एवं उर्वरक डालना एवं मिलाना (पौधो के फैलाव में 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट गहराई में डालना एवं कसिये से मिलाना) लगभग 1500 पौधे	प्रति 100 पौधे	15	
39	मूलवृन्त पौध तैयार करने के लिए खट्टी तोड़कर लाना, बीज निकलना व क्यारी में बिजाई करना	प्रति किलो बीज	20	
40	कलिकायन को मातृ पौधों से काटकर लाना, कली निकालना एवं कलिकायन 9 इन्च ऊंचाई पर करना व बांधना (पौधे की गणना दस प्रतिशत पौध मृत्यु दर (मोर्टेलिटि) काटते हुए की जाएगी)	प्रति 100 पौधे	120	

41	नर्सरी में बडिंग पौधों की पींग हटाना व अन्य शाखाएं भी हटाना	प्रति 100 पौधे	120	
42	बंधाई उपरान्त गुट्टी की प्लास्टिक खोलना व अन्य शाखाएं हटाना, नर्सरी में मूलवृन्त की 9 ईन्च ऊंचाई तक पत्ते एवं साइड ब्रान्च हटाना	प्रति 100 पौधे	120	
43	मूलवृन्त पौधों का वर्गीकरण,क्यारी बनाना एवं रोपण	प्रति क्यारी (2.7 गुणा 7.5 वर्ग मीटर)	50	
44	नर्सरी से बडिंग पौधों को निकालना, मजीठी या प्लास्टिक थैली में बांधना तथा किसान को देना	प्रति 100 पौधे	120	
45	खुरपी द्वारा गहरी निराई गुडाई व घास,आसगन्धा व अन्य खरपतवार जड़ सहित खेत से हटाना	प्रति 100 वर्ग मीटर	150	
46	कसिये द्वारा गहरी निराई गुड़ाई व घास, आसगन्ध व अन्य खरपतवार जड़ सहित खेत से हटाना	प्रति 100 पौधे	30	
47	किन्नू में रोग प्रबन्धन हेतु दवाई से ड्रेन्चिंग करना व तनों पर लेप करना	प्रति 100 पौधे	15	
48	बाग में पौधो पर पावर स्प्रेयर से रसायनों का छिड़काव करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	18	
49	नर्सरी, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस में ढोलकी की सहायता से रसायनों का छिडकाव करना	प्रति 1000 वर्ग मीटर	10	
50	नर्सरी, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस में निराई गुड़ाई व खरपतवारों को जड़ सहित हटाना	प्रति 1000 वर्ग मीटर	10	
51	सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगो में सब्जियो की डिब्लिंग द्वारा बुवाई/रोपाई	प्रति ट्रायल	1	
52	सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगो में ड्रिप प्रयोगों में खुरपी से निराई गुड़ाई व कचरा बाहर निकालना	प्रति ट्रायल	3	
53	सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगो में सब्जी के पौधो की पकने के बाद कटाई व खेत से बाहर निकालना	प्रति ट्रायल	1	
54	सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगों में बुवाई से पूर्व रेखाकंन	प्रति ट्रायल	2	
55	सिंचाई जल प्रबंध में ढोलकी द्वारा रसायनों का छिडकाव	प्रति ट्रायल	3	
56	फार्म में कच्चे व पक्के खालों की अंदर से ऊपरी सतह तक सफाई खाले के दोनो तरफ से साईड कटिंग, घास–फूस की सफाई खालों पर मिट्टी चढाना	प्रति 250 मीटर	150	
57	जे.सी.बी द्वारा मुख्य खाले की साफ–सफाई, सिल्ट निकालना व उठाकर खाली जगह पर डालना	प्रति घण्टा	25	
58	फसल बिजाई हेतु खेतो में पानी लगाना/ खड़ी फसल में सिंचाई (दिन व रात दोनों समय में पानी की निरंतरता बनाये रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी)	प्रति हैक्टेयर (सकल)	220	
59	खड़ी फसलों में हाथ की सहायता से खरपतवार (जैसे बाथु) निकालना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	20	
60	प्रायोगिक, अप्रायोगिक व बीज उत्पादन फसलो में त्रिफाली चलाने के बाद फसलों की कसिए से निराई गुडाई	प्रति हैक्टेयर (सकल)	40	
61	फार्म पर बीज उत्पादन व अप्रायोगिक फसलों की हाथ से कटाई व इकट्ठा करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	35	
62	फार्म पर बीज उत्पादन व अप्रायोगिक फसलों की ढुलाई, थ्रेसिंग, ओसाई, तोलना, बोरियों की सिलाई कर स्टोर मे रखना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	30	
63	फार्म पर बीज उत्पादन व अप्रायोगिक फसलों में कम्बाईन से कटाई करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	35	
64	कम्बाईन से फसलों की कटाई के बाद ट्राली खाली करना, ओसाई, तोलना, बोरियॉं की सिलाई कर स्टोर में रखना	प्रति क्विंटल	500	

65	प्रायोगिक (प्लॉट वाईज बंडल बांधना), अप्रायोगिक व बीज उत्पादन कार्यक्रम मे फसलों की रिपर से कटाई करना व बंडल बांधना	प्रति हैक्टेयर (सकल	15	
66	तिल की हाथ से कटाई कर बन्डल बांधकर खड़े करना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
67	तिल की डंडो से गहाई/मढाई व साफ करके थैलो मे भरना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	2	
68	फार्म पर बीज उत्पादन अमेरिकन व देशी कपास की डिलिंट कर सुखाना व सुखाकर स्टोर में रखना	प्रति 50 किलो	10	
69	फार्म पर बीज उत्पादन व अप्रायोगिक अमेरिकन व देशी कपास को स्टोर से निकालना, पीली बूटी चुनना व स्टोर में रखना	प्रति क्विंटल	20	
70	फार्म पर बीज उत्पादन व अप्रायोगिक अमेरिकन व देशी कपास की जिनिंग करना व बिनौलों को बोरियो में भरकर तुलवाई करना व स्टोर में रखना	प्रति क्विंटल	15	
71	जिनिंग/डिलिंटिंग के बाद नरमा व कपास के बीजो का हाथ, झार, छाज आदि से साफ करना	प्रति क्विंटल	15	
72	अमेरिकन व देशी कपास की रूई को बाजार भेजने हेतु लदाई व उतराई	प्रति क्विंटल	125	
73	ग्रेडिंग के लिये रा सीड को स्टोर से निकालना, ग्रेडिंग करना, अलग–अलग कट्टो में भरना, सिलाई करना व वापस स्टोर में स्टेग लगाकर रखना	प्रति क्विंटल रा सीड	500	
74	ग्रेडेड बीज को तोलकर थैलों में भरना, थैलो में नम्बरिंग करना, थैलों की टेग लगाकर सिलाई करना व वापस स्टोर में व्यवस्थित रखना	प्रति क्विंटल	300	
75	सरसों के ग्रेडेड बीज को तोलकर छोटी थैलियो में भरना, थैलियों में नम्बरिंग करना, थैलियो की टेग लगाकर सिलाई करना व वापस स्टोर में व्यवस्थित रखना	प्रति क्विंटल	150	
76	बीज के थैलो को ट्राली से उतारना व स्टोर में रखना/थैलों को स्टोर से वाहन पर लदवाना (दोनो में से कोई एक कार्य)	प्रति क्विंटल	200	
77	बाजार/स्टोर भेजने के लिए फार्म उपज/बीज की लदाई व उतराई (दोनो)	प्रति क्विंटल	450	
78	गोबर की खाद या प्रेस मढ को खेत में बिखेरना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	15	
79	फसल कटाई उपरांत फसल अवशेष कचरा आदि को कसिये की सहायता से हटा कर खेत की सफाई करना व कचरे को निर्धारित स्थान पर डालना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	30	
80	खेत से तूड़ी ट्राली में लदाई व ढुलाई व स्टोर के अन्दर डालना	प्रति हैक्टेयर (सकल)	3	
81	**कुशल श्रमिक** (ट्रेक्टर ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, व मशीन ऑपरेटर आदि)(दर प्रति कार्य दिवस)	प्रति 8 घण्टा	400	309
82	**अकुशल श्रमिक (दर प्रति कार्य दिवस)** विविध / आकस्मिक कृषि कार्य हेतु अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराना जैसे विभिन्न फसलों गेहू/ जौ/ ग्वार/ नरमा/ कपास/ सरसों/ चना/ मूंग/ तिल इत्यादि में अवांछिक पौधो को ढूंढ कर हटाना फार्म पर बीज उत्पादन फसलों में रोगिंग करना कृषि फसलो के प्रयोगो में आंकड़े लेने मे सहायतार्थ बीज ग्रेडिंग मशीन की सफाई, ड्रिप सिंचाई एवं ड्रिप सिस्टम का रखरखाव, सब्जियो की नर्सरी लगाने के लिये क्यारियां तैयार करना सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगो में लो टनल बनाना (पोलीथीन शीट काटना, पोलीथीन शीट लगाना, मिट्टी से दबाना) बैलो की देखरेख व दाना पिसाई, पेड़ो की छंगाई करना, छंगाई की गई लकडियो को ट्राली में डलवाकर बताये गये स्थान पर खाली करवाना फार्म पर फसलों की रखवाली/चौकीदारी/पक्षी उड़ाने का कार्य करना फार्म के विभिन्न भवनों व स्टोर डिग्गी के आस–पास व रास्तों से घास–फूस	प्रति 8 घण्टा	6000	285

	निकलवाना व साफ–सफाई करवाना, विभिन्न कृषि प्रयोगशाला / मौसम वैधशाला,स्टोर की साफ सफाई व रखरखाव, फार्म व खेतो पर दिन या रात में रखवाली, थैलियो से बीज निकालकर छोटे लिफाफों में भरना, प्रयोग फसलों में प्लॉट के अनुसार लेबल बांधने के लिये खूटियाँ गाड़ना दाने गिनकर लिफाफों में भरना व तोलना, मिट्टी के विभिन्न गहराई के सेम्पल लेना, फसलों की टेस्टिंग इटरिसज चैक वैरायटिज न्यूक्लियस बीज की हाथ द्वारा बीनते हुए सफाई फसलो के एकल पौधे की कटाई/फलिया तुड़ाई एकल पौधे की गहाई / मढाई औसाई व साफ करके लिफाफे में भराई, फसलों के दानों को गिनकर लिफाफे बनाना, बिजाई हेतु बीज की लिफाफों/थैलियो मे भराई फसलों में कृत्रिम संकरण हेतु विपुसकरणव सन्दर्भित प्लॉट से फूल ला कर संकरण कराना व टैग बांधना (कृषि पर्यवेक्षक/सहायक के निर्देशन में) थैलो में भरे हुये दानों की थैलियों खुलवाकर इकठा करना व दानों की सामान्य सफाई कर बोरियो में भरना तोलना सिलना व स्टोर में रखना, खाली थैलियो की सफाई, सीड कॉटन के नमूने स्टोर से लाना, नमूनों को तौलना, ओटाई (जिनिंग) करना साथ साथ हर नमूनों के बाद मशीन की सफाई करना, बीजों व रूई को अलग–अलग लिफाफों में भरना व स्टोर में वापस रखना, सीड कॉटन के सेंम्पल में से लिंट (रूई) निकालने से पहले सफाई (पत्ते कचरा व पीली बूटी आदि निकालना) नरमा/कपास में एकल पौधो की चुगाई या कास बॉल की चुगाई कर थैलियो मे भरना, नरमा/कपास के विभिन्न प्रयोगो में गेप फिलिंग करना, नरमा कपास के परीक्षण प्लॉट में कॉटन के सेम्पलो की चुगाई करना अलग–अलग लिफाफों में भरना व स्टोर में रखना, गन्ने में प्लांट अनुसार टेग बांधना बीज को उपचारित करना प्रिन्टेड वोर्ड लगाना गन्ने के नमूनों का विश्लेषण हेतु खेत से गन्ना काटकर प्रयोगशाला में लाना मशीन की सफाई करना, मशीन द्वारा रस निकालना व मशीन की पुनः सफाई व अन्य किसी भी तरह का कृषि कार्य			

नोटः–

1. सभी फसलों में रेखांकन (ले आउट) के समय रस्सी खीचने के लिये दो पुरूष श्रमिक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
2. सभी फसलों मे कार्य पूरा करने की समय सीमा तीन दिन प्रति हैक्टेयर होगी तथा अलग–अलग फसलों व परियोजनाओं का कार्य कार्यदेशानुसार एक साथ ही शुरू व संपन्न करना होगा। ऐसा नही किया जा सकेगा कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जाये अर्थात सभी आदेषित कार्य एक साथ समानान्तर रूप से करने होगें ऐसा करने में विफल रहने पर कार्य कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा निविदादाता के खर्चे पर बाजार भाव पर ठेकेदार कि प्रतिभूति राशि में से करवाया जा सकेगा।
3. निविदा का तुलनात्मक विवरण करवाये जाने वाले कार्यो के अनुमानित मात्रात्मक भार से निविदित राशि को गुणित करके बनाया जायेगा।
4. कार्य का विवरण संख्या 81 व 82 में मजदूरी (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम नही) के अतिरिक्त सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि भरना अनिवार्य हैं।

A आवेदन के लिये पात्रतायें

1. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना जरूरी है, जिसका प्रमाण पत्र सेवा प्रदाता निविदा के साथ संलग्न कर सकता है अन्यथा इस आशय का भापथ पत्र 100/– (रूपयें एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि कार्यादेश जारी होने के बाद प्रथम बिल परस्तुत करने के समय उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा।
2. आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर व ईमेल होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अपेक्षित है ताकि निविदादाता कार्य शर्तो व आदेशों को भली भांति पढ एवं समझ सकें।
4. निविदादाता को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संल्गन करना अनिवार्य होगा या इस आशय का शपथ पत्र 100/–(रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि नियमो के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है और निविदा अवधि के दौरान यदि उसकें द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970 संशोधित अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र की प्रति सम्बंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।
5. निविदादाता कों आयकर पेन (PAN) नम्बर व आधार नम्बर (UIDAI) संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्र (जी.एस.टी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है व इस आश्य का शपथ पत्र 100/–(रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि नियमों के अंतर्गत बोली दाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है और निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण (जी.एस.टी) पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण करातें हुए प्रमाण पत्र की प्रति सम्बधित कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।
7. निविदा फार्म के साथ गत् तीन वर्षो में ब्लैक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना अनिवार्य है।
8. ई–निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता को 100/– रूपये के शपथ पत्र पर यह देना होगा कि निविदादाता पर वितिय वर्ष 2026–2027 का किसी भी प्रकारा का कोई टैक्स बकाया नही है।
9. निविदादाता द्वारा भरे जाने वाली बिड के दस्तावेजों में फर्म या उसके वास्तविक स्वामी के नाम, पते में किसी भी प्रकार की गंभीर त्रुटि या असमानता पाई जाती है तो वह बिड स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. इस आश्य का शपथ पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि सेवा प्रदाता फर्म (ठेकेदार) ने श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त EPF,ESI सेवाकर (यदि कोई हो तो) व अन्य लागु सरकारी (यदि कोई हो तो) इत्यादि जोड़ते हुए दरें प्रस्तुत की है तथा भविष्य में इस सम्बंध में कोई भी दायित्व निविदादाता का ही होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर इसके लिये किसी भी रूप में उतरदायी नही होगा।

B आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Securigy) जमा कराना

निविदादाता यह सुनिश्चित करें कि–

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या............ ....दिनांक ....Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष में देय Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत कर दिया है।

आर. आई. एस. एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500/– (रूपये पाच सौ मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या... ....दिनांक............................ Managing Director, RISL, Jaipur के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) में Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

बोली प्रतिभूति राशि 96000/– (रूपये छियानवें हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष में देय Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत कर दिया है।

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

तकनीकी बिड के लिए निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा

1. निविदादाता का सरकारी क्षेत्र में कृषि कार्य करवाने का अनुभव प्रमाण पत्र
2. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र या इस आशय का शपथ 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कि कार्यादेश जारी होने के बाद प्रथम बिल प्रस्तुत करने के समय उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा।
3. आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता,दुरभाष नम्बर व ईमेल
4. निविदादाता को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा या इस आशय का शपथ पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि नियमों के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है और निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970 संशोधित अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण की प्रति सम्बंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।
5. निविदादाता को आयकर पेन (PAN) नम्बर व आधार नम्बर (UIDAI) संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्र (जी.एस.टी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है या इस आशय का शपथ पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि इस नियमों के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण (जी.एस.टी) कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र की प्रति सम्बंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।
7. निविदा फार्म के साथ गत् तीन वर्षो में ब्लैक लिस्ट नही होने का शपथ पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र–'स'
8. शपथ पत्र कि निविदादाता पर वित्तिय वर्ष 2025–26 का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।

9. इस आशय का शपथ पत्र 100/-(रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त EPF, ESI सेवाकर (यदि कोई हो तो) व अन्य लागु सरकारी कर (यदि कोई हो तो) इत्यादि जोड़ते हुए दरें प्रस्तुत की गयी है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई दायित्व निविदादाता का ही होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर इसके लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

C. निविदा की शर्तें

1. उपरोक्त अनुबंध कार्य वितीय वर्ष 2026–27 जिसकी अवधि एक वर्ष तक मान्य रहेगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर इसी अनुबंध को इन्हीं दरों एवं शर्तों के आधार पर ठेकेदार की सहमति से 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

2. जो कार्य आवश्यक समझा जायेगा वही करवाया जावेगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र दिए गये सभी कार्य करवाने के लिए बाध्य नही होगा।

3. मुहरबन्द ई–निविदा जोनल डायरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम देय होनी चाहिए।

4. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट http//eproc.rajasthan.gov.in पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करनी होगा, जिसकी निविदा डिजिटल साइन के साथ नहीं होगी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। काई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप में स्वीकार नहीं होगी।

5. ई–निविदा के साथ–साथ निविदा दस्तावेज मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवाने है, जिसके लिफाफे पर विभिन्न कृषि कार्य करवानें हेतु निविदा फार्म लिखा होना चाहिए।

6. ई–निविदा दिनांक 20.06.2026 को सुबह 10:00 बजे बंद हो जाएगी। एवं समय के पश्चात प्राप्त ई–निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं इसे दिनांक 20.06.2026 को सुबह 11:30 बजे खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।

7. इस कार्य की अनुमानित लागत 48.00 लाख रूपये है। अतः अमानत राशि 2 प्रतिशत (अखरे रूपये छयानवे हजार मात्र) कार्यालय में दिनांक 20.06.2026 प्रातः 10:30 बजे तक जमा करवानी होगी। धरोहर राशि निर्धारित दिनांक 20.06.2026 तक जमा नहीं होगी तो उस फर्म की निविदा निरस्त मानी जावेगी। अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा। बीच में छोड़े गये कार्य को श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर केन्द्र पूर्ण करवाकर राशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

8. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखी होनी चाहिये।

9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. बिना धरोहर राशि व प्रपत्र शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नही किया जायेगा।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार जोनल डॉयरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के पास सुरक्षित रहेगा एवं जोनल डायरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के निर्णय सर्वमान्य होगें।

12. कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर पर करवार्य जाने वाले कार्य प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रबन्धक/कृषि पर्यवेक्षक/प्रक्षेत्र प्रभारी की निगरानी में उनके निर्देशानुसार पूरा करना होगा।

13. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त

प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

14. कृषि कार्यो हेतु बैल एवं ट्रैक्टर चालित सभी मशीनें व औजार सम्बन्धित परियोजनाओं/फार्म से उपलबध करवायें जायेगें। अन्य हस्त चालित औजार जैसे कस्सी, कस्सियां, दराती, खुरपी, टोका आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होगें।

15. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवानें होगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा, अन्यथा कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार का विलम्ब को कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर का नुकसान माना जायेगा व कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा गठित समिति जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसन की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

16. संविदा पर करवाये जाने वाले कार्यो के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से करवाना होगा। यदि ठेकेदारा ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर, द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा। ठीक उसी प्रकार अधूरा छोड़ा गया कार्य भी ठेकेदार के जोखिम एवं खर्चे से पूरा करवाया जायेगा।

17. निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो उसका समिति द्वारा निर्धारित नुकसान ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा तथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर प्रतिभूति राशि अथवा भुगतान में से काट लिया जायेगा।

18. निविदादाता की किसी भी तरह की शिकायत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होने पर निविदादाता कों इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा श्रम ठेका निरस्त कर निविदादाता के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की दायित्व सम्बन्धित निविदादाता को होगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत इस संस्था को प्राप्त होती है तो इसकी शिकायत संस्था द्वारा श्रम विभाग को करवाकर उस निविदादाता को debar कर दिया जायेगा।

20. निविदादाता द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

21. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF और ESI जमा करवाना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPF और ESI के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

22. अनुबंध अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों तथा EPF और ESI एवं अन्य दरों में वृद्धि की जाती है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता बढ़ी हुई दरों को बढ़ाने का उत्तरदायी तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक निविदादाता द्वारा दी गयी मजदूरी दर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लियें निर्धारित नवीन न्यूनतम मजदूरी दर से कम न हो। लेकिन सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

23. निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने पर शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

24. राज्य मे लागु श्रम नियमों के अन्तर्ग अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI की राशि जमा कराने का समस्त दायित्व निविदादाता का होगा।

25. निविदादाता फर्म (ठेकेदार) द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त EPF और ESI व सेवाकर (यदि कोई हो तो) इत्यादि जोड़ते हुए अपनी दरें प्रस्तुत करनी होगी। बाद में इस सम्बन्ध में कोई भी दायित्व निविदादाता का ही होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर इसके लिए किसी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

26. कार्य विवरण 83 व 84 में सेवा प्रदाता को सर्विस चार्ज राशि भरना अनिवार्य है।

27. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर व सैस की कटौती करने के पश्चात ही बिल का भुगतान किया जाएगा। आयकर रिटर्न भरने का दायित्व ठेकेदार का ही होगा।

28. श्रमिकों के कार्य समय में ठेकेदार स्वंय या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का फार्म पर उपस्थित रहना अनिवार्य हैं

29. निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्ति को उप–ठेका (सब–लेट) नही देगा। वह स्वंय इस कार्य को करवायेगा।

30. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

31. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को राज्य सरकार को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

32. जिस फर्म को कार्य करने का आदेश जारी होगा, उसे आदेश जारी होने के 7 दिन के अन्दर ई–टेण्डर में दी हुई राशि (48 लाख का 2 प्रतिशत धरोहर राशि के अतिरिक्त कार्याल में **Zonal Director Research, Agriculture Research Station, Sriganganagar** के नाम से डी.डी द्वारा जमा करवानी होगी। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

33. आपूर्तिकर्मी एवं केन्द्र के बीच कोई स्वामी सेवक का संबंध नहीं होगा। यह आपूर्तिकर्मी सेवा प्रदाता संस्था का ही सेवक होगा।

34. सेवा प्रदात संस्था/ठेकेदार को श्रम विधियों एवं नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा अर्थात आपूर्तित किये गये कृषि श्रमिकों कें संबंध में श्रमिक कानूनों, नियमों व अन्य संवैधानिक दायित्व आपूर्तितकर्ता संस्था/ठेकेदार का ही होगा।

35. विवादास्पद मामलों पर विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में कुल शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा। तथा विवाद निवृत होने पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु जोनल डायरेक्टर रिसर्च द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय किया जावेगा यदि निविदादाता इस निर्णय से असहमत है तो जोनल डायरेक्टर रिसर्च को इस इस निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकेगी। जोनल डायरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर का निर्णय अंतिम होगा।

36. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए दिशा–निर्देशों की पालना का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्व के निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

37. सेवा प्रदाता /निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज की राशि की दर यदि प्रतिशत में लिखी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

38. भुगतान केवल पूर्ण करवाये गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा निविदादाता(ठेकेदार) को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जायेगी।

39. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात 7 दिन के अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

40. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है, तो करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान एवं प्रतिभूति राशि जब्त करके ब्लैक–लिस्टिड घोषित कर दिया जायेगा।

41. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जायेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो राजस्थान सरकार के नियमानुसार कटौती निविदादाता से की जायेगी।

42. उपलब्ध कराये गये श्रमिको को भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था/ठेकेदार का होगा। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कोषागार में प्रस्तुत बिल के पास होने या ना होने आदि से इसका कोई सम्बन्ध नही होगा। निविदादाता द्वारा श्रमिकों को भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा। भले ही कार्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाये।

43. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह सम्बन्धित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल जोनल डायरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेंवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

44. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके लिए ठेकेदार को 100/– रूपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

45. सफल निविदादाता को अनुबन्ध स्वरूप नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) का इकरारनामा(अनुबन्ध) प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही अनुबन्ध वार्षिक राशि की 2 + 3 = 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (security) के रूप में कार्यादेश प्राप्त करने के 7 दिन तक जमा करवानी होगी।

46. अनुबन्ध पर रखे गये श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमन्त्रित कर ली जावेगी।

47. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। विगत वर्षों मे ऐसे श्रमिकों या व्यक्तियों, जिनका व्यवहार इस केन्द्र पर कर्मचारियों के साथ अनुचित व संदिग्ध रहा है, उन श्रमिकों या व्यक्तियों का प्रवेश कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर परिसर में निषेध रहेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है, तो उसके लिये सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस सम्बन्ध में कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के विरूद्व की गयी सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

48. श्रमिकों द्वारा हड़ताल या उत्पात मचाने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी तरह की हड़ताल/उपद्रव/उत्पात/अनुशासनहीनता पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार जोनल डायरेक्टर रिसर्च को होगा।

49. कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता किये जाने पर श्रमिकों के खिलाफ कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।

50. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उसे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगीं

51. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिये कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

52. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता(ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

53. **Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013** के प्रावधान प्रभावी रहेगें।

54. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु जोनल डायरेक्टर रिसर्च का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार/निविदादाता उसके लिए बाध्य होगा।

55. कार्य पर उपलब्ध करवाए जाने श्रमिकों की आयु श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2013 के अन्तर्गत आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

56. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक द्वारा अनुसंधान परीक्षणों एवं सम्पत्तियों को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने पर उस हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा ऐसे श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।

57. ठेकेदार को विभिन्न कार्यों का समय व दिनांक कार्य विवरण के अनुसार एक दिन पूर्व ही बता दिया जायेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को कार्य का सम्पादन करने की व्यवस्था करनी होगी।

58. किसी भी कार्य के समय पर न होने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उसे नोटिस जारी होने के बाद भी कार्य समय पर न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को गठित समिति के निर्देशानुसार अपने स्तर पर ठेकेदार की दरों पर या अधिक दरों पर श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेगें। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जाएगा तथा उसे 3 वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

59. जोनल डायरेक्टर रिसर्च न्यूनतम दर पर निविदा छोड़ने के लिए बाध्य नही होगें। न्यूनतम दर के साथ निविदा दरों को व्यवहारिकता तथा कार्य अनुभव को भी ध्यान में रखा जायेगां

60. कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर पर खुली जेल के बंदियों को लगाने को प्रथामिकता दी जायेगी। शेष कार्यों का सम्पादन ठेकेदार द्वारा करवाया जायेगा।

61. यदि ठेकेदार को कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नहीं करता है व कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे बदलना होगा।

62. किसी भी अपराधिक मामले में लिप्त, नशा किया हुआ अथवा फार्म पर प्रतिबंधित व्यक्ति को ठेकेदार कार्य पर नही लगायेगा।

63. ठेकेदार/निविदादाता द्वारा दरें प्रतिशत या पैसों में मान्य नहीं होगी। सभी दरें पूर्णाक में भरनी होंगी।

64. उधानिकी से सम्बन्धित अन्य शर्तें निम्न प्रकार होगी।

(i) पौध प्रसारण हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन शीट, खाद बीज, कीटनाशक व अन्य दवांए केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) ठेकेदार (फर्म) को केन्द्र के निर्देशानुसार फार्म के पौधो से रोग मुक्त बड स्टीक खुद काटकर लानी होगी।

(iii) किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार (फर्म) खुद जिम्मेवार होगा। केन्द्र उन्ही पौधों को भुगतान करेगा जो अन्तिम गिनती के समय भौतिक रूप से उपलब्ध होंगे।

(iv) बडिग व नर्सरी कार्य से सम्बन्धित औजार जैसे कस्सी, कसीया, चाकू, कैन्ची, खुरपी, टोकरे आदि ठेकेदार (फर्म) को लाने होंगे।

65. किसी भी विवाद की स्थिति में जोनल डायरेक्टर रिसर्च, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर होगा।

66. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार जोनल डायरेक्टर रिसर्च के पास सुरक्षित रहेगा एवं जोनल डायरेक्टर रिसर्च के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

67. किसी भी शर्त की पूर्णतया पालना न होने पर अनुबंध किसी भी समय रद्द किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

68. कृषि व अन्य कार्य करवानें के लिये श्रमिकों को लाने व ले जाने के लिए कोई भी वाहन कृषि अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा। श्रमिकों को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं निविदादाता द्वारा की जायेगी।

69. श्रमिकों को फार्म पर प्रवेश हेतु जोनल डायरेक्टर रिसर्च द्वारा समय-समय पर दिये निर्देश आवश्यक रूप से मान्य होंगे।

70. दिये गये कृषि कार्य में किसी कारण से लिपिकीय त्रुटि या अंकगणितीय त्रुटि होने की वजह से यदि दरें अव्यवहारिक प्रतीत होती है तो जोनल डायरेक्टर रिसर्च अधिकृत होंगे कि उस कार्य को निविदा सें हटा लिया जाये।

71. निविदादात द्वारा प्रत्येक कृषि कार्य करने के लिये प्रस्तुत दरों समस्त प्रकार के कर सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी है। कृषि अनुसंधान केंन्द्र किसी भी तरह से अतिरिक्त करों को दायित्व वहन नहीं करेगा।

जोनल डायरेक्टर रिसर्च

मैं/हम यह घोषणा करते है कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तो एवं नियम का पालन नही करता/करते है तो हमारी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाये। मैनें/हमनें निविदा की सभी शर्तो/नियमों को भली भांति पढ़ लिया है व समझ लिया है, तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मैने/हमने कार्य/सेवा इकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नही करने/होने के कारण मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मै/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत मुझें/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर